संख्या-6/1533आ.न.यो./9-8-13-8(1)पंचायत/2010

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2010-11 में नगर पंचायत-गढीपुख्ता, जनपद-शामली को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत-गढीपुख्ता, जनपद-शामली को वित्तीय वर्ष 2010-11 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासनादेश संख्या-657/9-8-2011-15(20)/आ.न.यो./10 दिनांक 22 मार्च, 2011 द्वारा रूपये 50.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था। निकाय ने अपने पत्र दिनांक 03.12.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वीकृत की गयी धनराशि से रूपये 42.16 का उपयोग समय से कर लिया गया है एवं रूपये 7.84 लाख का उपयोग कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण नहीं किया जा सका।

2. अतः निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत नगर पंचायत-गढीपुख्ता, जनपद-शामली को विशेष परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2011 द्वारा स्वीकृत रूपये 50.00 लाख की अवशेष धनराशि रूपये 07.84 लाख की उपयोगिता अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि किसी भी दशा में इसके आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय इस अवधि में प्रत्येक दशा में पूर्व में स्वीकृत किये गये कार्य का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें तथा स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-6/1533 (1)आ.न.यो./9-8-13 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, शामली उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-गढीपुख्ता, जनपद-शामली
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in